अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./ CE/DLB/SBM/2020/54093-305 दिनांकः–25/11/2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) की निरन्तरता को बनाये रखने एवं मोनिटरिंग की व्यवस्था हेतु।

प्रसंगः– श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा दिनांक 06.11.2020 को विभागीय समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों की पालना में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् मुख्य सचिव द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति की समीक्षा के दौरान खुले में शौच से मुक्त शहर के क्रम में निर्देश दिये कि प्रोटोकॉल की पालना करते हुये आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि आवश्यक मात्रा में घरेलू/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का संचालन एवं रखरखाव की समुचित व्यवस्था व यह सुनिश्चित करेगें कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नही पाया जावें। कच्ची बस्तियों के आस–पास व्यवस्था को और अधिक माकूल बनाई जावें। ओ.डी. पॉईन्ट अगर कोई हो तो उनको चिन्हित करते हुये वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था एवं रेल पटरियों के आस–पास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

श्रीमान् मुख्य सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कच्ची बस्तियों एवं रेल पटरियों के आस–पास कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नही दिखे इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी की ड्यूटि लगाई जावें।

मॉडल शहर में रूप में जयपुर शहर के जयपुर जंक्शन रेल्वे स्टेशन के आस का ऐरिया एवं कठपुतली कॉलोनी कच्ची बस्ती या अन्य कच्ची बस्ती का चयन कर उसकी सघन मॉनिटरिंग करते हुये शहर को पूर्णतया खुले में शौच से मुक्त बनाये जाने की सुनिश्चितता की जावें।

साथ ही भारत सरकार द्वारा इस वर्ष मार्च 2021 तक प्रत्येक शहर को ODF^{+} तथा 3 स्टार रेटिंग प्रमाणित करवाये जाने का लक्ष्य दिया है जिसके क्रम में आपसे आग्रह है कि अपने–अपने शहर को ODF^{+} तथा 3 स्टार रेटिंग हेतु स्वयं के स्तर से प्रोटोकॉल के अनुसार घोषित कर भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत करावें, जिससें थर्ड पार्टी द्वारा आपके शहर को प्रमाणीकरण किया जा सकें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./ CE/DLB/SBM/2020/54306-54316 दिनांकः–25/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता